ालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
37 / 2024	07 / 06 / 2024	22 / 12 / 2025

सूरजमल पुत्र मदनलाल उम्र 60 साल जाति कण्डारा निवासी खेडली महाराजी तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज हाल निवास बाटिका मोहनपुरा हनुमान मंदिर के पास जयपुर

वादी

बनाम

1–लक्ष्मणसिंह पुत्र शिवसिंह
2–दशरथसिह पुत्र शिवसिंह
3–कर्णसिह पुत्र शिवसिंह
4–रघुवीरसिह पुत्र शिवसिंह जातियान राजपूत निवासीगण खेडली महाराजा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज
5–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री मनोज शर्मा एड0।
प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री महेन्द्र शर्मा एड0।

वाद अर्न्तगत धारा 183 आर टी एक्ट बाबत बेदखली

निर्णय

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी वाके ग्राम खेडली महाराजा पटवार हल्का दोलतपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज की खाता सख्या 132 की खसरा संख्या 113 रकबा 0.17 है. व खसरा नम्बर 348 रकबा 0.32 है कुल किता 2 रकबा 0.49 है भूमि स्थित है जिसका वादी एक मात्र काबिज काश्त स्वामी है आगे वाद पत्र मे उपरोक्त आराजी मे से खसरा नम्बर 348 रकबा 0.32 है, को सुविधा की दृष्टि से विवादग्रस्त आराजी कहा गया है। वादी व उसके परिवार के पास जीवन व्यापन करने के लिए मात्र विवादग्रस्त भूमि ही है दूसरे खसरा नम्बर 113 की 0.17 हैक्टर पर वादी व उसके परिवार के लोगो के 30 साल से मकान बने हुये है वादी के परिवार का विवादग्रस्त आराजी से भरण पोषण नहीं हो पा रहा था. और वादी परिवार सहित जयपुर में रहकर मजदूरी करने लगा वादी ने प्रतिवादीगण कों 4–5 साल पूर्व उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी को पॉती काश्त पर दिया था हर वर्ष पौती काश्त का हिसाब हो जाता था. इस वर्ष सरसों की फसल विवादग्रस्त आराजी पर की गई थी. जिसका पॉती का हिसाब वादी ने प्रतिवादीगण से मांगा और वादी में प्रतिवादीगण से कहा कि अब मै प्रतिवादीगण से पोंती काश्त नहीं करूंगा स्वयं काश्त करूंगा जयपुर में भी मेरे पास काम नहीं है आप इस वर्ष के पाँती काश्त की फसल सरसों का हिसाब कर दो तो प्रतिवादीगण में वादी को धमकी दी कि विवादग्रस्त आराजी पोंती काश्त का कोई हिसाब नही है। अगर वादी नें स्वयं काश्त की या किसी अन्य को पाँती काश्त पर दी तो जान से मार देगे। विवादग्रस्त आराजी हमारी है हम कब्जा नही छोडेगे प्रतिवादीगण ने वादी कों यह भी धमकी दी कि तेरी मर्जी आये जहाँ रोता फिर हमारा कुछ नही होगा। और जबरन वादी की विवादग्रस्त आराजी को दिनाक 30.4.2024 को हॉक दिया। दिनांक 30.4.2024 को प्रतिवादीगण नें वादी की विवादग्रस्त आराजी पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया और वादी की विवादग्रस्त आराजी को हॉक दिया प्रतिवादीगण नें एक गिरोह बना रखा है तथा अपराधिक किस्म के व्यक्ति है वादी गरीब व शांति प्रिय नागरिक है जो इनसे मुकाबला नही कर सकते पुलिस थाने मे भी वादी की कोई सुनवाई नही हुई ओर कहा कि अदालत मे कार्यवाही करो आदेश आने पर हम प्रतिवादीगण को हटायेगे वरना कुछ नही करेगे। प्रतिवादीगण को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। वादी ने प्रतिवादी क्रम 5 से भी निवेदन है कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 ने वादी की विवादग्रस्त

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

जी पर अवैध कब्जा कर लिया है उन्हे बेदखल करे तो प्रतिवादी ने भी ऐसा करने मना कर दिया ओर कहा कि अदालत में कार्यवाही करो अदालत ही बेदखल करेगी दालत जैसा आदेश देगी उसकी पालना हम कर देगे। वादी की विवादग्रस्त आराजी र प्रतिवादीगण को अवैध कब्जा करने तथा अवैध रूप से कब्जा बनाये रखने का व अंतःकालीन लाभ का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है तथा यादी को यह कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटायें तथा प्रतिवादीगण द्वारा अनुचित व गैर कानूनी तरीके से प्राप्त किये जा रहे लाभ को व वादी के कब्जे काश्त में मदाखलत च मजाहमत करने से प्रतिवादीगण को रोके इस कारण वादी यह वाद माननीय न्यायालय में बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रहा है। वाद कारण दिनांक 30.4.2024 को प्रतिवादीगण ने वादी की विवादग्रस्त आराजी पर अवैध रूप से कब्जा करने व वादी कें विवादग्रस्त आराजी पर काश्त करने पर जान से मारने की धमकी देने के कारण उत्पन्न हुआ। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की सादर डिक्री फरमाई जाकर।

वादी की ओर से वाद श्री मनोज शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी कम 1 ता 4 की ओर से श्री महेन्द्र सिंह एड0 ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी कम 1 ता 4 ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादी के पिता मदनलाल व माधो आत्मज भैरूलाल कण्डारा निवासी ग्राम खेडली महाराजा आपस में भाई थे, जिनके खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 203 रकबा करीब 30 बीघा थी जो पाटी के नाम से जानी जाती थी, जिसके मध्य में दक्षिण से उत्तर की तरफ कोलाना माईनर निकली हुई है, तथा इस भूमि के पश्चिम मे खेडली गांव से विनायका गाव की गाडी गडार है। मदनलाल एव माधो ने अपने जीवन काल मे भूमि का विभाजन कर लिया था जिसमे गाडी गडार पश्चिम से पूर्व की तरफ 1/2, 1/2 कर उत्तर की तरफ की माधो के वारिसान वर्तमान मे सत्यनारायण आत्मज माधो के खेत तथा दक्षिण की तरफ श्री मदनलाल के हिस्से में आई भूमि है। मदनलाल के हिस्से में आई दक्षिण की 1/2 भूमि खसरा 203 करीब 15 बीघा जिसके उत्तर में माधो की 1/2 भूमि थी, जिसके पड़ोस में दक्षिण में सेटलमेन्ट से पहले खसरा नम्बर 201 मन्नालाल केवट एवं खसरा नम्बर 208 हरिकिशन जी मीणा नलावता के खेत है तथा पश्चिम में गाडी गडार खेडली गांव से विनायका है, तथा पूरब में खेत खसरा नंबर 206 बद्रीलाल बैरवा विनायका का खेत है। जिस पर मदनलाल जी की मृत्यु बाद बिरधीलाल, सूरजमल, रमेश, गोर्वधन, श्याम जाति कण्डारा के सयुक्त खातेदारी में दर्ज हो गई, किन्तु श्याम नाबालिग था, जिसे दूसरी काश्त की भूमि मिली थी। बिरधीलाल, सूरजमल, रमेश, गोर्वधन, श्याम पिसरान मदनलाल जाति कण्डारा निवासी खेडली महाराजा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ने 200 /— रू. के कुल 13 किता स्टाम्पों पर रूपयों की घरेलू जरूरत बताकर प्रतिवादीगण के पिता श्री शिवसिंह जी निवासी खेडली महाराज तहसील पीपल्दा जिला कोटा को 21,700 /— रू अक्षरे इक्कीस हजार सात सौ रू. की एवज में मदनलाल के वारिसों ने उनके खत पाटी में से खोटा पूर्व की तरफ का 5 बीघा 8, 1/2 बिस्वा का बेचान मिति श्रावण सुदी 5 सम्बत् 2044 दिनांक 31.07.1987 का कर कब्जा शिवसिंह जी को सम्भला दिया, जिसके साक्ष्य के रूप में लिखावट श्री किशनसिंह जी ने लिखि थी, जिस पर बहैशियत विक्रेता के चारों भाई बिरधीलाल, सूरजमल, गोवर्धन ने हस्ताक्षर किये एवं रमेश ने अंगूठा लगाया था। गवाही में मथुरालाल कीर ने अंगूठा निशानी की तथा, भवंरलाल छोटूलाल गुर्जर, कल्याणसिंह ने दस्तखत किये थे जिनमें से मथुरालाल कीर ही वर्तमान में जीवित है। दिनांक 31.07.1987 से श्री शिवसिंह जी बहैशियत क्रेता ऐलानिया चांजिन्दगी काबिज काश्त रहे शिवसिंह जी की मृत्यु दिनांक 05.12.2012 को

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

के उपरान्त उपरान्त प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से लगातार बिना गैर दखल के बुज काश्त है। मदनलाल जी के पुत्रों ने 1/2 हिस्से की भूमि पाटी खसरा नम्बर 3 में से नहर कोलाना माईनर के पूरब की तरफ की 5 बीघा 8, 1/2 बिस्वा जिस वर्तमान खसरा नम्बर 348 रकबा 0.32 हैक्टयर है0 एवं खसरा नम्बर 348/511 कबा 0.00 हैक्टयर कुल 2 किता की 0.92 हैक्टयर वाके माल खेडली महाराजा है, जो तिवादीगण के कब्जे काश्त में दिनांक 31.07.1987 से लगातार है। के अलावा मदनलाल ी के वारिसानो की शेष भूमि कोलाना माईनर के पश्चिम में एवं गाडी गडार बेडली हाराजा से विनायका के मध्य खसरा नम्बर 347/510 रकबा 0.52 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 347 रकबा 0.55 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 346 रकबा 0.48 हैक्टयर रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है। मदनलाल कण्डारा के पुत्र बादी के अलावा अन्य भाई रमेश कोलाना माईनर के पश्चिाम में खसरा नम्बर 347/510 रकबा 0.52 हैक्टयर को वर्तमान में खुद काश्त कर रहा है, तथा खसरा नम्बर 347/510 के लगवा पश्चिम में लगवा गाडी गडार खेडली महाराजा से विनायका तक मदनलाल जी के बडे पुत्र बिरधीलाल ने शेष 6 बीघा भूमि श्रीमति भवरबाई पत्नी श्री हरिसिंह जी निवासी खेडली महाराजा को रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से बेचान की दी, जो वर्तमान मे महेन्द्र सिंह आत्मज हरिसिंह के खसरा नम्बर 346 रकबा 0.48 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 347 रकबा 0.55 हैक्टयर कुल दो किता 1.03 हैक्टयर, जिनका मौके पर कब्जा है। वादी जवाब की उपरोक्त विशेष आपत्तियों में दर्ज तथ्यों के विपरीत झूठा बेबुनियाद दिनांक 30.04.2024 को बाद कारण के आधार पर बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद लाया है। जो कब्जे के अभाव में बाद अस्थायी निषेधाज्ञा मेन्टेनेबल नहीं है तथा वादी का बाद बेचान की तिथी तारीख 31.07.1987 से स्पष्ट मियाद बाहर है। वादी क्लीन हैण्ड से बाद लेकर नहीं आया है। वरन न्यायालय के समक्ष वास्तविकता छुपाकर झूठा वाद प्रतिवादीगण को तंग करने व परेशान करने के लिये लाया गया है। वास्तव मे वादी का बाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की तृतीय अनुसूचि अनुसार वाद कारण बेचान की तिथी दिनांक 31.07.1987 एवं उसके बाद 12 वर्ष तक दिनांक 31.07.1999 तक वाद बेदखली का नही करने से दिनाक 31.07.2011 को राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 63 (1), (IV) के तहत वादी के टीनेन्सी अधिकार समाप्त होने से वादी का बाद मेन्टेनेबल नही है। वादी ने वाद दुर्भावना पूर्वक झूठा प्रतिवादीगण को नाजायज पेरेशान करने के लिये किया है, जो विशेष हर्जा 20,000/– रूपये से खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादी का वाद सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादी ग्राम खेड़ली महाराज पटवार हल्का दौलतपुरा के खाता स. 132 में से ख.न. 348 रकबा 0. 32 हे0 से प्रतिवादी को बेदखल कराने का हकदार है

वादी

2. आया वादी प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित कराने का हकदार है।

वादी

3. आया प्रतिवादी द्वारा मदनलाल के वारिसों से विवादित आराजी का क्रय किया।

प्रतिवादी

4. आया प्रतिवादी 31.07.1987 से विवादित आराजी पर काबिज है।

प्रतिवादी

5. आया 31.07.1987 से 12 वर्ष बाद तक बेदखली नही करने से R.T. ACT की धारा 63 (1) (4) के तहत वादी के खातेदारी अधिकारी समाप्त हो गये है।

– प्रतिवादी

6. अनुतोष

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

वादी ने साक्ष्यवादी शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0 1 सूरजमल, पी0डब्ल्यू0 2 रमेश, डब्ल्यू0 3 रामकरण, पी0डब्ल्यू0 4 गोरधन, पी0डब्ल्यू0 5 बिरधीलाल, पी0डब्ल्यू0 6 र्वधन पेश किए। वादी ने अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दी संवत 2076–79 खाता o 132 प्रदर्श पी–1, खसरा गिरदावरी संवत 2076–78 प्रदर्श पी–2, खसरा गिरदावरी न् 2024 प्रदर्श पी–3, नक्शा ट्रेस ख0नं0 348 प्रदर्श पी–4, रसीद सिंचाई विभाग नं0 6 दिनांक 2.03.2023 प्रदर्श पी–5, रसीद सिंचाई विभाग नं0 21 दिनांक 20.02.2024 प्रदर्श पी–6 पेश किये।

पत्रावली में बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के अभिकथनों को दोहराते हुए प्रार्थना की कि वादी अभिलिखित खातेदार है तथा प्रतिवादी अवैध अतिकमी है अतः बेदखली आदेश पारित किया जावे। वादी के वाद पत्र, प्रतिवादी के जवाब दावा तथा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार निर्णय इस प्रकार है–

1. तनकी सख्या 1. '' आया वादी ग्राम खेड़ली महाराज पटवार हल्का दौलतपुरा के खाता स. 132 में से ख.न. 348 रकबा 0. 32 हे0 से प्रतिवादी को बेदखल कराने का हकदार है'' इस तनकी हो सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा वर्तमान जमाबन्दी प्रदर्श पी–1, गिरदावरी (चतुवर्षीय) प्रदर्श पी–2 संवत 2076, खसरा गिरदावरी वर्ष 2024 संवत 2080 प्रदर्श पी–3, खसरा नक्शा प्रदर्श–4, सिंचाई का भुगतान की रसीदे वर्ष 2023 प्रदर्श पी–5, सिंचाई कर भुगतान की रसीदे वर्ष 2024 प्रदर्श पी–6 पेश किये। मुताबिख राजस्व रिकॉर्ड वादी अभिलिखित खातेदार है। वादी ने नकल गिरदावरी तथा सिंचाई कर की रसीदे पेश की जिनसे यह साबित होता है कि वादी को बेदखल किया जाने से पूर्व वादी का वैध कब्जा बतौर अभिलिखित खातेदार था। वर्ष 2023 तथा वर्ष 2024 की सिंचाई कर की रसीदे व गिरदावरी रिपोर्ट से ऐसा तथ्य मानने योग्य है। रिकॉर्डेड खातेदार कब्जाधारी माना जाता है जब तक कि अन्यथा साबित नहीं हो। प्रतिवादी भी इसके विपरीत साबित नहीं कर पाया है। प्रतिवादी ने विवादित भूमि के वर्ष 1987 में क्रय संबंधी अमुद्रांकित व अपंजीकृत दस्तावेज प्रस्तुत किये है जो न्यायालय में न तो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है न ही इनसे कही भी कब्जा साबित होता है कि वह वादी के वाद कारण की तिथि 30.04.2024 से पूर्व से ही भूमि पर काबिज था। न्यायालय अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर खातेदारी अधिकारों का अंतरण करने संबंधी घोषणा करने में सक्षम नहीं है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तथा इसके नियम व प्रावधान ऐसी अनुमति प्रदान नहीं करते है। अतः वाद मियाद भीतर साबित है तथा वाद कारण उचित प्रतीत होता है। प्रतिवादीका यह तर्क अस्वीकार्य है कि वादी के अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के धारा 63 (1) (iv) के तहत समाप्त हो चुके है। अतः प्रतिवादी ने वादी को साम्पत्तिक अधिकारों से अवैध रूप से वंचित व भूमि से बेदखल किया है। प्रतिवादी को अतिचारी घोषित किया जाता है तनकी बहक वादी घोषित की जाती है।
2. तनकी सं0 2 '' आया वादी प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित कराने का हकदार है।'' चूंकि तनकी सं0 1 वादी के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है अतः वादी प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का हकदार है।
3. तनकी सं0 3 '' आया प्रतिवादी द्वारा मदनलाल के वारिसों से विवादित आराजी का क्रय किया।'' इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा अमुद्रांकित व अपंजीकृत इकरारनामे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं है। इकरारनामे के आधार पर काश्तकारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर

सहायक कलेक्टर
पड़ावा जिला कोटा (राज.)

स्वामित्व, हक व अधिकारों का अंतरण नहीं किया जा सकता। अतः तनकी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

4. तनकी सं0 4 "आया प्रतिवादी 31.07.1987 से विवादित आराजी पर काबिज है।" इस तनकी हो सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 31.07.1987 से विवादित आराजी पर काबिज होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः तनकी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

5. तनकी सं0 5 " आया 31.07.1987 से 12 वर्ष बाद तक बेदखली नही करने से R.T. ACT की धारा 63 (1) (4) के तहत वादी के खातेदारी अधिकारी समाप्त हो गये है।" इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। चूंकि तनकी 4 प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जा चुकी है प्रतिवादी यह दावा नहीं कर सकता कि बेदखली की मियाद समाप्त होने के कारण खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये है। तनकी साक्ष्य के अभाव में विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

6. तनकी सं0 6 अतिरिक्त अनुतोष की आवश्यकता न्यायालय की दृष्टि में नहीं है।

अतः ग्राम खेडली महाराजा पटवार हल्का दौलतपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में स्थिति ख0नं0 348 रकबा 0.32है0 भूमि पर प्रतिवादी को अतिचारी घोषित किया जाकर बेदखली के आदेश प्रदान किये जाते है। प्रतिवादी को भूमि से बेदखल करके वादी को खुला कब्जा संभलाया जावे। उक्त निर्णय की पालना अपील की निर्धारित अवधि के समाप्त होने के उपरांत हो। प्रतिवादी निर्धारित अवधि के तहत अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। फैसला सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक इटावा

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

यालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
37 / 2024	07 / 06 / 2024	22 / 12 / 2025

नूरजमल पुत्र मदनलाल उम्र 60 साल जाति कण्डारा निवासी खेडली महाराजी तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज हाल निवास बाटिका मोहनपुरा हनुमान मंदिर के पास जयपुर

वादी

बनाम

1–लक्ष्मणसिंह पुत्र शिवसिंह
2–दशरथसिह पुत्र शिवसिंह
3–कर्णसिह पुत्र शिवसिंह
4–रघुवीरसिह पुत्र शिवसिंह जातियान राजपूत निवासीगण खेडली महाराजा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज
5–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री मनोज शर्मा एड0।
प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री महेन्द्र शर्मा एड0।

वाद अर्न्तगत धारा 183 आर टी एक्ट बाबत बेदखली

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री मनोज शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू..... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम खेडली महाराजा पटवार हल्का दौलतपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में स्थिति ख0नं0 348 रकबा 0.32है0 भूमि पर प्रतिवादी को अतिचारी घोषित किया जाकर बेदखली के आदेश प्रदान किये जाते है। प्रतिवादी को भूमि से बेदखल करके वादी को खुला कब्जा संभलाया जावे। उक्त निर्णय की पालना अपील की निर्धारित अवधि के समाप्त होने के उपरांत हो। प्रतिवादी निर्धारित अवधि के तहत अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है। डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 22/12/25 को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रेक इटावा